पत्र संख्याः—6 / योजना—01—1018 / 2012 गृ0आ0............................... /

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

पटना, दिनांक— दिसम्बर, 2015

विषय :— लखीसराय जिलान्तर्गत, कजरा थाना भवन निर्माण हेतु रैयती भू—अर्जन के लिए विमुक्त राशि ₹ 25,98,965 (पच्चीस लाख अंठानवे हजार नौ सौ पैसठ रू0) का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या—8763, दिनांक—22.12.2015, द्वारा लखीसराय जिलान्तर्गत, कजरा थाना भवन निर्माण रैयती भू—अर्जन के लिए कुल पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹ 52,11,191 (बावन लाख ग्यारह हजार एक सौ इकानवे रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं शेष राशि ₹ 25,98,965 (पच्चीस लाख अंठानवे हजार नौ सौ पैसठ रू0) विमुक्त करने की स्वीकृत दी गयी है। उक्त विमुक्त राशि ₹ 25,98,965 (पच्चीस लाख अंठानवे हजार नौ सौ पैसठ रू0) चालू वित्तीय वर्ष 2015—15 में निकासी हेतु आवंटित किया जाता है।

2. उपर्युक्त आवंटित राशि ₹ 25,98,965 (पच्चीस लाख अंठानवे हजार नौ सौ पैसठ रू0) का व्यय राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या—22 के बजट शीर्ष—"4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय—उपमुख्य शीर्ष—00—लघु शीर्ष—050—भूमि उपशीर्ष—0101—थाना / चौकी के भू—अर्जन हेतु" विपत्र कोड—P4055000500101 विषयशीर्ष—53 02—भू—अर्जन एवं राज्य योजना स्कीम कोड—HOM—5419 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 में उपबन्धित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561 / वि0(2), दिनांक—17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. **वित्त विभाग के ज्ञापांक—3687, दिनांक—30.03.2012 के अनुसार विमुक्त राशि व्यक्तिगत जमा खाता (पी0डी0 खाता) में जमा की जायेगी।**

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, लखीसराय होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, लखीसराय से की जायेगी।

6. उपर्युक्त आवंटित राशि का व्यय प्रतिवेदन संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वासभाजन
ह0 / —
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0:—6 / योजना—01—1018 / 2012 गृ0आ0 40 / पटना, दिनांक 04 ~~दिसम्बर, 2015~~ 01/2016

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, लखीसराय / पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना / जिला पदाधिकारी, लखीसराय / पुलिस अधीक्षक, लखीसराय / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव
1.1.16